

19

दिनांक 3.2.20 को पत्र

रीडर

03.2  
20

पत्रावली भेज डई। वकील उमय पक्ष उप. नली  
 है। बार-बार आवाज डिलाई गई। कोई  
 हाजिर नली है। वकील सायल ने आप  
 तक ललकी नली कराई है। अतः सायल  
 का जा. पत्र ललकी के अभाव में अदम  
 हाजरी एवं अदम पंखी में खारिज किया  
 जाता है। पत्रावली केवल अंगूठे के  
 बाद वकील के फलर दाखिल की जावे।



उप जिला कलेक्टर  
 बामनवास (जिला-सोमा)

